

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती शिल्पा सिंह, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 60/2020

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1958

उनवान

- 1 दूदी देवी पत्नी हीरा गुर्जर निवासी मुण्डेता तह0 शाहपुरा
- 2 सायर पत्नी कल्याण गुर्जर निवासी मुण्डेता तह0 शाहपुरा

- प्रार्थी

बनाम

- 1-2 रामदयाल, सालम पुत्र सोनाथ गुर्जर निवासी मुण्डेता तह0 शाहपुरा
- 3 भैरू पुत्र हरदेव गुर्जर निवासी मुण्डेता तह0 शाहपुरा
- 4-5 लादू, फूमा पुत्र नाथू गुर्जर निवासी मुण्डेता तह0 शाहपुरा
- 6-9 गोपी, दूदा, डालू, यादराम पुत्र खाना गुर्जर निवासी मुण्डेता तह0 शाहपुरा

- विपक्षीगण

उपस्थिति :- श्री कैलाश सुवालका
अधिवक्ता प्रर्थी

-:: निर्णय ::-

दिनांक- 05/10/2020

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है - प्रार्थी के ग्राम मुण्डेता तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 676 रकबा 0.45 कुल किता 1 रकबा 0.45 हैक्टेयर हैक्टेयर का प्रार्थी खातेदार / संयुक्त खातेदार काशतकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाइ जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम मुण्डेता संवत 2075 से 2078 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् के प्रार्थी खातेदार/ संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात् की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा मुण्डेता में स्थित प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी/ संयुक्त खातेदारी की आराजीयात् किता 1 रकबा 0.45 हैक्टेयर हैक्टेयर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी ऑफ सीजन में किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 100/- रुपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थी से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05/10/2020 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(शिल्पा सिंह IAS)

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कमिश्नर

शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

शाहपुरा (भीलवाड़ा)

प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।



उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कमिश्नर

शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

शाहपुरा (भीलवाड़ा)